☆ नीति निर्देशक तत्व ☆

[भाग-4, अनु. 36-51]

* ये लोककल्याणकारी प्रावधान है जो कि लोककल्याणकारी व समाजवादी राज्य की स्थापना करते है।
* ये राज्य या सरकार को जनता के कल्याण की नीतियाँ एंव कानून बनाने का निर्देश देते है।
* ये सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र व न्याय की स्थापना करते है।
* इनमें से कुछ गांधी जी के सिद्धान्तो पर भी आधारित माने जाते है।
* ये बाद योग्य नही है। इन्हे न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है।
* इनका पालन सरकार जनता के दबाव के आधार पर करती है।

* अनुच्छेद 36-51 तक ये निम्नलिखित है →

अनुच्छेद-36 → नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा

अनुच्छेद 37 → यह वाद योग्य नही होगें इनको न्यायालय में चुनौती नही दी जायेगी।

अनुच्छेद 38 → राज्य लोककल्याण के लिए समान में व्यवस्था बनायेगा।

अनुच्छेद 39 (क) → समान न्याय एंव निःशुल्क कानूनी सहायता।

अनुच्छेद 39 (ख) → समान कार्य के लिए समान वेतन।

अनुच्छेद 40 → ग्राम पंचायतो का गठन

अनुच्छेद 41 → कुछ दशाओं काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार।

अनुच्छेद 42 → काम की न्याय संगत एंव मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान

अनुच्छेद 43 → कामगारो के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान

अनुच्छेद 43 (क) → उद्योगों के प्रबंधन में कामगारो की भागीदारी

42वें

अनुच्छेद 43 (ख) → सहकारी समितियो को बढ़ावा देना।

97वें

अनुच्छेद 44 → समान नागरिक संहिता (विवाह, तलाक व उत्तराधिकार के समान कानून)

Note → अभी तक "समान नागरिक संहिता" को लागू नहीं किया गया है। यह केवल गोवा राज्य में लागू है।

★ अनुच्छेद 45 → बालकों (Matritva) के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

Note → इसी को लागू करने के लिए "निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE-2009" बनाया गया है। इसे भारत में 1 April 2010 व राजस्थान में 29 March 2011 से लागू किया गया है।

अनुच्छेद 46 → अनुसूचित (SC) जाति, जनजाति (ST) एवं अन्य दुर्बल (OBC) /पिछड़े वर्गों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि।

अनुच्छेद 47 → पोषाहार के स्तर एवं जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोकस्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।

Note → इसके अंतर्गत शराब, तम्बाकू, गुटका, मादक पदार्थ, गांजा, अफीम, पोलीथिन आदि पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद 48 → कृषि एवं पशुपालन का संगठन

अनुच्छेद 48 (क) → पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा

अनुच्छेद 49 → राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण

अनुच्छेद 50 → कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

अनुच्छेद 51 → विश्व शांति एवं सुरक्षा

मूल कर्तव्य / मौलिक कर्तव्य

~~अनुच्छेद~~ [भाग 4 क, अनु. 51 क]

* मूल कर्तव्य मूल संविधान में नही थे, बाद में जोड़े गये थे।
* 42 वें संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क, अनु. 51 क में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गये थे।
* वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गयी है।
* शिक्षा का मूल कर्तव्य → 86 वें संशोधन 2002 द्वारा 6-14 वर्ष के बालको को प्रारंभिक शिक्षा दिलाना उनके माता-पिता व संरक्षक का नया मूल कर्तव्य बनाया गया है।
* मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह से जोड़े गये है इसने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सलाह दी थी →
* मूल कर्तव्य वाद योग्य नही है, इन्हे न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है।
* इनका पालन नैतिकता के आधार पर किया जाता है।